संख्या–3751 / 9–आ–1–1– भूकम्परोधी / 2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अध्यक्ष,
विशेक्ष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

5. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. आवास संघ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 20 जुलाई, 2001

विषयः नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने हेतु 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स', 'साईट सिविल इंजीनियर्स' तथा 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' की अहर्ता का निर्धारण।

महोदय,
प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित 3 मंजिला से अधिक भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो शासनादेश संख्या : 570 / 9–आ––1–2001 (आ.ब.) दिनांक : 03 फरवरी, 2001 तथा शासनादेश संख्या : 772 / 9–आ–1–भूकम्परोधी / 2001 (आ.ब.), दिनांक : 13 फरवरी, 2001 पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं। इन शासनादेशों में भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स' को अधिकृत किया गया था, जिनकी तकनीकी अहर्ता सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के साथ–साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट रखी गयी थी। इसी प्रकार से निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 'साईट सिविल इंजीनियर्स' की तैनाती की शर्त रखी गयी थी, जिनकी अहर्ता 3 वर्ष के भवन निर्माण कार्य के अनुभव सहित सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त निर्माण के दौरान अनुभवी सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों द्वारा निर्माण कार्यों का स्वतंत्र रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने का भी प्राविधान किया गया है। इन विशेषज्ञ सिविल इंजीनियरों की अहर्ता का निर्धारण उक्त दोनों शासनादेशों में नहीं किया गया था।

'स्ट्रक्चरल इंजीनियर' की इस प्रकार से निर्धारित की गयी तकनीकी अहर्ता में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट होने की शर्त शिथिल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, निजी वास्तुविदों एवं प्रेक्टिसिंग सिविल इंजीनियरों से अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त हुये। इसी प्रकार से 'साईट सिविल इंजीनियर' की तकनीकी अहर्ता के सम्बन्ध में भी सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होने की शर्त, शिथिलीकरण करने के लिए कुछ प्रत्येवेदन प्राप्त हुये। इन प्रत्यावेदनों तथा निर्माण कार्यों के परिमाण एंव उनकी तकनीकी विशिष्टता तथा भूकम्प की दृष्टि से उनकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये, सम्यक रूप से विचारोपरांत, पूर्व में निर्गत उक्त संदर्भित दोनों शासनादेशों में वर्णित निर्माण कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये, प्रत्येक श्रेणी के निर्माण की स्ट्रक्चरल डिजाइन करने हेतु अधिकृत 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स', निर्माण कार्यो के स्थल पर्यवेक्षण हेतु 'साईट सिविल इंजीनियर' तथा निर्माण के दौरान निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स की तैनाती हेतु उनकी अहर्ताओं का निर्धारण तीन अलग–अलग परिशिष्टयों मे किया गया है।

इन परिशिष्टयों में उल्लिखित पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री के साथ–साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से है। ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त तकनीकी योग्यता से है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से है।

अतः पूर्व निर्गत दोनों संदर्भित शासनादेशों में 'स्ट्रक्चरल इन्जीनियर' तथा 'साईट सिविल इन्जीनियर' की अर्हतओं में आंशिक संशोधन तथा 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इन्जीनियर' की अर्हताओं का स्पष्ट निर्धारण करते हुये संलग्न तीन परिशिष्टयों (1,2, व 3) में निर्धारित अहर्ताओं के आधार पर 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर' को अधिकृत करने एवं 'साईट सिविल इंजीनियर' तथा आकस्मिक निरीक्षण हेतु 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स की तैनाती सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : परिशिष्ट (1–3)।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

निर्माण कार्य एवं भुकम्प जोन के आधार पर **'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स'** की अहर्ता का निर्धारण

स्ट्रक्चरल डिजाइन को, को आई0 आई0 टी0, रूड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।

अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एंव निर्माण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)

अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी0 ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी0 कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए

अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए

8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिलें भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।

निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 'स्थल सिविल इन्जीनियर्स (Site Civil Engineers) की आहर्ता

निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु अधिकृत साईट इंजीनियर का बहुमजिलें भवन एंव सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)

अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी0 ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी0 कवर्ड तक के बहुमंजिलें भवनों/एरिया, महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए

अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए

8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।

'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' (Expert Inspecting Civil Engineers) का वर्गीकरण

इन निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु दो सेवारत/सेवानिवृत विशेषज्ञों का संयुक्त पैनल तैनात किया जाएगा, जिसमें एक विशेषज्ञ कम से कम प्रदेश/केन्द्र सरकार के किसी अभियन्त्रण विभाग/उपक्रम के मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर का रहा हो, तथा दूसरा विशेषज्ञ यथासम्भव किसी निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर स्तर का होगा, जिनके उपलब्ध न होने पर दोनों विशेषज्ञ मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर के रहेंगे।

ग्रेजुएट सिविल इन्जीनियर का बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)

अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी0 ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी0 कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए

अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए

8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।